न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी– एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या–30/2018

हीराराम पुत्र मोतीराम, जाति जाट निवासी राणसर,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
खिलाफ निर्णय दिनांक 24.10.2017 बअदालत नायब तहसीलदार मलसीसर
मुकदमा उनवानी सरकार बनाम हीराराम मु.न. 01/2017
नये नंबर 22/17 अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री विनोद गिल , एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय– दिनांक–03.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.10.2017 मुकदमा नंबर 01/2017 नये नंबर 22/17 बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम हीराराम अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – अदालत मातहत ने दिनांक 4.1.2017 को प्रकरण रजिस्टर्ड कर पत्रावली वास्ते तलबी नियत की। पत्रावली में दिनांक 13.01.2017, 07.2.2017 एवं 22.3.2017 की दिनांक को तामिल जारी करना व तामिल बाबत कोई आदेश नहीं है। दिनांक 22.3.2017 को केवल अपीलार्थी की अनुपस्थिति लिख दी। नोटिस मिला या नहीं मिला ऐसा इन्द्राज नहीं किया। अदालत मातहतने अपीलार्थी की तामिल करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना दिनांक 24.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया

जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। अपीलार्थी को 22.11.1978 को उक्त भूमि बाबत नोटिस दिया गया था तथा उस समयतत्कालीन तहसीलदार ने अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही डोप कर 500 वर्ग गज का पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया था। दिनांक 22.11.78 के आदेश के अनुशरण में अपीलार्थी को पटटा जारी नही किया जा सका, परन्तु पटटा जारी होने के आदेश के पश्चात अपीलार्थी को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। दिनांक 22.11.78 को पटटा जारी करने के आदेश के समय धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी। तहसीलदार के द्वारा धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप करने के पश्चात नायब तहसीलदार ना तोनोटिस देसकता और ना ही बेदखली के आदेश पारित कर सकता। तत्तकालीन तहसीलदार ने अपीलार्थीका पूर्वजों के समय का भू–खण्ड मानते हुये कार्यवाही डोप की थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जवाबदेही एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अन्यथा अपीलार्थी 1978 की कार्यवाही व उस समय हुये आदेश की प्रति न्यायालय के समक्ष पेश करता। अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2017 को निरस्त किया जावे एवं पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – अदालत मातहत ने दिनांक 4.1.2017 को प्रकरण रजिस्टर्ड कर पत्रावली वास्ते तलबी नियत की। पत्रावली में दिनांक 13.01.2017, 7.2.2017 एवं 22.3.2017 की दिनांक को तामिल जारी करना व तामिल बाबत कोई आदेश नहीं है। दिनांक 22.3.2017 को केवल अपीलार्थी की अनुपस्थिति लिख दी। नोटिस मिला या नहीं मिला ऐसा इन्द्राज नहीं किया। अदालत मातहत ने अपीलार्थी की तामिल करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना दिनांक 24.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। अपीलार्थी को 22.11.1978 को उक्त भूमि बाबत नोटिस दिया गया था तथा उस समय तत्कालीन तहसीलदार ने अपीलार्थीके खिलाफ कार्यवाही डोप कर 500 वर्गगज का पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया था। दिनांक 22.11.78 के आदेश के अनुशरण में अपीलार्थी को पटटा जारी नही किया जा सका, परन्तु पटटा जारी होने के आदेश के पश्चात अपीलार्थी को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। दिनांक 22.11.78 को पटटा जारी करने के आदेश के समय धारा 91 की कार्यवाही डोप कर दी गई थी। तहसीलदार के द्वारा धारा 91

की कार्यवाही डोप करने के पश्चात नायब तहसीलदार ना तो नोटिस दे सकता और ना ही बेदखली के आदेश पारित कर सकता। तत्तकालीन तहसीलदार ने अपीलार्थी का पूर्वजों के समय का भू–खण्ड मानते हुये कार्यवाही डोप की थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जवाबदेही एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अन्यथा अपीलार्थी 1978 की कार्यवाही व उस समय हुये आदेश की प्रति न्यायालय के समक्ष पेश करता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2017 को निरस्त किया जावे एवं पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाये।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 12 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में 778 वर्गमीटर भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन कि– अधीनस्थ न्यायालय में उनकी तामिल नहीं हुई, उन्हें साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसी भूमि के संबंध में वर्ष 1978 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उनका पूर्वजों के समय का कब्जा मानते हुये उनके विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही डोप की गई थी और वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी करने के आदेश किये गये थे, उसी भूमि के संबंध में दूबारा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही कर अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, वादग्रस्त भूमि से बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में अपीलांट को कब तामिल हेतु नोटिस जारी हुये और नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये या अदम तामिल कोई अंकन नहीं है। ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के विरूद्ध जारी धारा 91 एल0आर0 का नोटिस लगा हुआ है। पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट को तामिली नोटिस जारी होना एवं अपीलांट की विधिवत तामिल होने के संबंध में कोई अंकन नहीं होने से अपीलांट की तामिल होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश 24.10.2017 उनवानी सरकार बनाम हीराराम मु0नं0 01/2017 नये नंबर 22/2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पूर्ण विवेचना के साथ गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू